

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-20/2016.....401 न०वि० एवं आ० वि०, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 सह-पठित बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार, आरा नगर निगम एवं इसके आस-पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों एवं शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित विकास के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित आयोजना क्षेत्र घोषित करती है, जिसे "आरा आयोजना क्षेत्र" कहा जायेगा। इसकी स्थानीय सीमाएं निम्नवत् हैं : -

- उत्तर - पूर्वी भाग में कोइलवर ब्लॉक के काजीचक, कुलहरिया, विद्या, किरटपुरा, पूरहिलगंज, ज्ञानपुर राजस्व ग्राम से होते हुए आरा ब्लॉक के लच्छमनपुर, बसंतपुर, पिपरा, जाहोपुर, निर्मलपुर, सैदपुर राजस्व गाँव तक।
- दक्षिण - पूर्वी मार्ग में कोइलवर ब्लॉक के भाड़वर, नारहि, नारबिरपुर, अम्मा नारबिरपुर, आरा ब्लॉक के जमीरा, अलीपुर राजस्व गाँव से होते हुए उदवन्तनगर ब्लॉक के डिलिया, बकरी, हरियापुर, चकिया, इकौना, तेतरिया, बेहरा, चौरेन, चौरसान राजस्व गाँव तक।
- पूरब - उत्तरी भाग में कोइलवर ब्लॉक के चँदा, माहुई, गिरौधा से होते हुए दक्षिण भाग में धवडीहा राजस्व गाँव तक।
- पश्चिम- उत्तरी भाग में आरा ब्लॉक के सौनादिया, रामदीह छपरा, गंगहर से होते हुए दक्षिण भाग में उदवन्तनगर ब्लॉक के मिलकि, बाँव पल्ली राजस्व गाँव तक।
- आरा आयोजना क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 174.62 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र क्षेत्रफल 36.19 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र 138.43 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र के भीतर दो शहरी प्रशासनिक इकाई आरा नगर निगम एवं कोइलवर नगर पंचायत तथा आरा सी०डी० ब्लॉक के 34 राजस्व ग्राम, कोइलवर सी०डी० ब्लॉक 17 राजस्व ग्राम, उदवन्तनगर सी०डी० ब्लॉक के 17 राजस्व ग्राम को मिलाकर कुल 68 राजस्व ग्राम शामिल है।

इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा यथा अनुसूची-I, इस आयोजना क्षेत्र के अधीन पड़ने वाली शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची यथा अनुसूची-II एवं आयोजना क्षेत्र के अधीन शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी की विवरणी यथा अनुसूची-III के रूप में इस अधिसूचना के साथ संलग्न है।

विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए, आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में से दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के अवधारण एवं अन्य विधिपूर्ण कार्रवाई के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।


बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,


नगर विकास एवं आवास विभाग,

ज्ञापांक -11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-20/2016...401.../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-18/5/17
 प्रतिलिपि -अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ई-गजट कोषांग वित्त विभाग, पटना
 (सी०डी० के साथ) को बिहार गजट में अतिरिक्त प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि
 प्रकाशित गजट के 200 कॉपी कार्यालय उपयोग के लिए उपलब्ध कराया जाए।


18/5/2017

प्रधान सचिव,

ज्ञापांक -11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-20/2016...401.../न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-18/5/17
 प्रतिलिपि -मुख्य सचिव, बिहार/ विकास आयुक्त, बिहार/ बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड
 के सदस्य/ प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना/ जिलाधिकारी भोजपुर/नगर आयुक्त, नगर
 निगम, आरा/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, न०वि० एवं आ०वि०/ सभी संबंधित
 अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।


18/5/2017

प्रधान सचिव,

Government of Bihar
Urban Development & Housing Department

NOTIFICATION

No. 11/न०वि०मा०प्लान(आ०क्षे०)-20/2016 4.02 UD&HD, in exercise of the powers conferred by Section-9 of the Bihar Urban Planning and Development Act, 2012 read with Rule-9 of the Bihar Urban Planning and Development Rules, 2014, the Government of Bihar, with the objective of integrated and planned development of Arrah Town and surrounding important areas as well as rural areas having potential to urbanization to prepare Master Plan of Arrah for the period of 20 years or more, declares the following the planning area, which will be called the "Arrah Planning Area". Its local boundary is as follows :-


- North - In the eastern part from Kazi Chak, Kulharia, Giddha, Kiratpura, Purdilganj, Gyanpur of Koilwar Block, Lachhmanpur, Basantpur, Pipra, Jadopur, Nirmalpur of Arrah Block upto Saidpur revenue village in the western part.
- South - In the eastern part from Bharwar, Narhi, Narbirpur, Amma narbirpur of Koilwar Block, Jamira, Alipur of Arrah Block, Diliya, Bakri, Hariyapur, chakiya, Ikauna, Tetariya, Behra, Chorain of Udwantnagar Block upto Choursani revenue village in the western part.
- East - In the northern part from Chanda, Mahui, Giraudha of Koilwar Block upto Dhandiha revenue village in the southern part.
- West- In the northern part from Sonadia, Ramdih Chhapra, Ganghar of Arrah Block, Milki of Udwantnagar Block upto Baon Palli revenue village in the southern part.

The total area of Arrah Planning Area is 174.62sq.km, in which 36.19sq.km is urban area and the rest 138.43sq.km is rural area. Two urban administrative units - Arrah Municipal Corporation and Koilwar Nagar Panchayat, and total 68 revenue villages including 34 revenue villages of Arrah Block, 17 revenue villages of Koilwar Block and 17 revenue villages of Udwantnagar Block are included in this Planning Area.

Map of this Planning Area as Appendix-I, List of Administrative Units and Revenue Villages as Appendix-II, details of names and population of Urban Administrative Units and Revenue Villages falling under this Planning Area as Appendix-III are appended to this notification.

Keeping in view the probability of modification and changes in the area of administrative units and planning area during preparation of the development plan, the Urban Development and Housing Department shall be the competent authority to modify and change the area upto ten percent of the total area of this planning area, declaration of peripheral area to this planning area, constitution of planning authority, determination of period of development plan and other lawful action.


By the order of Governor,


17/5/2017
(Chaitanya Prasad)
Principal Secretary


Urban Development and Housing Department

(100)

Memo No. -11/न०वि०मा०प्लान(आ०क्षे०)-20/2016 ⁴⁰² न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-18/5/17
Copy to -Superintendent, Secretariat Printing Press, Gulzarbag, Patna, E-Gazette Cell,
Finance Department, Patna, Bihar with CD for publication in an extra ordinary
issue of the Bihar Gazette.
He is requested to make available 200 copies of published Gazette for official use
immediately.


17/5/2017
Principal Secretary

Memo No. -11/न०वि०मा०प्लान(आ०क्षे०)-20/2016 ⁴⁰² न०वि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक-18/5/17
Copy to -Chief Secretary Bihar/ Development Commissioner Bihar/Members of the Bihar
Urban Planning and Development Board/ Divisional Commissioner, Patna/
District Magistrate, Bhojpur/ Municipal Commissioner, Municipal Corporation
Arrah/ P.S Hon'ble Minister, UD&HD / Circle officers of the concerned areas for
kind information and necessary action.


17/5/2017
Principal Secretary

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

मंत्रिपरिषद के लिए संलेख

गोपनीय

मुद्रांक

विषय— "आरा आयोजना क्षेत्र" की घोषणा की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

आरा, भोजपुर जिला का प्रशासनिक मुख्यालय शहर है। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं भारत के प्राचीनतम जिला में से एक है। आरा शहर एवं उसके आस पास के क्षेत्रों को समेकित एवं सुव्यवस्थित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से अगले बीस वर्षों अथवा इससे विस्तारित अवधि के लिए महायोजना तैयार करने के प्रयोजनार्थ बिहार आयोजना तथा विकास अधिनियम, 2012 की धारा-9 एवं बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के आलोक में बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा आयोजना क्षेत्र की घोषणा किया जाना है, जिसे "आरा आयोजना क्षेत्र" कहा जा सकेगा।

2. आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर आमजनों एवं हितधारकों से जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। वर्णित दिशा निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी, आरा द्वारा नगर विकास एवं आवास विभाग को आयोजना क्षेत्र का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया, जिसपर दिनांक-24.01.2017 को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पंचम बैठक में विचारोपरान्त सहमति प्रदान की गयी।

3. इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 174.62 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 36.19 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 138.43 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत दो शहरी प्रशासनिक इकाई आरा नगर निगम एवं कोईलवर नगर पंचायत तथा आरा सी०डी० ब्लॉक के 34 राजस्व ग्राम, कोईलवर सी०डी० ब्लॉक 17 राजस्व ग्राम, उदवन्तनगर सी०डी० ब्लॉक के 17 राजस्व ग्राम को मिलाकर कुल 68 राजस्व ग्राम शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है -

उत्तर - पूर्वी भाग में कोईलवर ब्लॉक के काजीचक, कुलहरिया, विद्या, किरटपुरा, पूरहिलगंज, ज्ञानपुर राजस्व ग्राम से होते हुए आरा ब्लॉक के लच्छमनपुर, बसंतपुर, पिपरा, जाहोपुर, निर्मलपुर, सैदपुर राजस्व गाँव तक।

दक्षिण - पूर्वी मार्ग में कोईलवर ब्लॉक के भाड़वर, नारहि, नारबिरपुर, अम्मा नारबिरपुर, आरा ब्लॉक के जमीरा, अलीपुर राजस्व गाँव से होते हुए उदवन्तनगर ब्लॉक के डिलिया, बकरी, हरियापुर, चकिया, इकौना, तैतरिया, बेहरा, चौरन, चौरसान राजस्व गाँव तक।

पूर्व - उत्तरी भाग में कोईलवर ब्लॉक के चँदा, माहुई, गिरौधा से होते हुए दक्षिण भाग में धवडीहा राजस्व गाँव तक।

पश्चिम-उत्तरी भाग में आरा ब्लॉक के सौनादिया, रामदीह छपरा, गंगहर से होते हुए दक्षिण भाग में उदवन्तनगर ब्लॉक के मिलकि, बाँव पल्ली राजस्व गाँव तक।

4. इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची-I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची-II, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरण अनुसूची-III के रूप में संलग्न है।

5. आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के तहत आयोजना प्राधिकार का गठन एवं आयोजना क्षेत्र का विकास योजना (मास्टर प्लान) तैयार किया जाएगा।
6. विकास योजना की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाईयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेरबदल, आयोजना क्षेत्र के उपान्त क्षेत्र की घोषणा, आयोजना प्राधिकार के गठन, विकास योजना की अवधि के निर्धारण एवं अन्य नियमानुकूल कारवायों के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
7. प्रस्ताव है कि कंडिका-3 से 6 में वर्णित तथ्यों के आलोक में आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृति प्रदान की जाय।
8. इस आयोजना क्षेत्र की सीमांकन एवं घोषणा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति प्राप्त है।
9. प्रारूप पर विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
10. अधिसूचना प्रारूप पर विधि विभाग की सहमति प्राप्त है।
11. उपरोक्त कंडिका-7 में निहित प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद का अनुमोदन प्राप्त है।

9/5/2017

(चैतन्य प्रसाद)

प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक -11/न०वि०/मा०प्लान(आ०क्षे०)-20/2016...369 न०वि० एवं आ०वि० पटना, दिनांक-11/5/17
प्रतिलिपि-संलेख की 45 अतिरिक्त प्रतियों के साथ मंत्रिपरिषद की आगामी बैठक की कार्यावली में शामिल करने हेतु मंत्रिमण्डल सचिवालय विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



9/5/2017

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

अनुसूची - I

PROPOSAL FOR ARRAH PLANNING AREA

Map showing constituent villages and urban administrative units




Legend

- Block Boundary
- Arrah Municipal Corporation
- Koilar Nagar Panchayat
- Arrah Planning Area
- Highways
- Mejor Road
- Internal Road
- Railway Track
- Stream
- River


Brief Profile:

- Arrah Municipal Area: 30.87Sq.km
- Koilar NP: 5.32Sq.km
- Total Planning Area: 174.62Sq.km
- Total Population: 471452 (as per Census 2011)
- Urban Centres: 2
- Revenue Villages: 68
- Census Towns: 0

Constituent Areas



Prepared by:
Town & Country Planning organization
BHOJPUR, Bihar



अनुसूची-11

149

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण

Arrah Planning Area						
Sl. No.	C. D. Blocks	No. of Revenue Villages	Rural Area (sq.km)	No. of Urban Administrative Units	Urban Area (sq.km)	Total Area (sq.km)
1	Arrah	34	61.69	1	30.87	92.56
2	Kcilwar	17	45.08	1	5.32	50.4
3	Udwantnagar	17	31.66	-	-	31.66
Total for Planning Area		68	138.43	2	36.19	174.62

अनुसूची-III

आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई तथा राजस्व ग्रामों के नाम एवं आबादी का विवरणी

Sl. No.	Block	Name	Area (sq.km)	Population_2011
1	Arrah	Alipur	3.062	2888
2	Arrah	Jamira	9.535	13891
3	Arrah	Piprahiya	0.756	2465
4	Arrah	Hasanpura	1.238	2863
5	Arrah	Bhusahula	0.594	1387
6	Arrah	Karwa	0.985	2841
7	Arrah	Gothahula	3.376	5548
8	Arrah	Sonadia	2.222	5262
9	Arrah	Nayagaon	0.808	361
10	Arrah	Sonadia	0.771	2767
11	Arrah	Chatarsainpur	1.887	3049
12	Arrah	Daulatpur	1.284	4416
13	Arrah	Lachhmanpur	2.045	1859
14	Arrah	Mirza Beg	0.299	483
15	Arrah	Mathaulia	0.884	1521
16	Arrah	Basantpur	0.863	2815
17	Arrah	Dhauandhua	0.545	3601
18	Arrah	Balua	1.395	2457
19	Arrah	Sobhi Dumra	2.333	2742
20	Arrah	Sarangpur	2.989	2805
21	Arrah	Nirmalpur	0.610	1089
22	Arrah	Saidpur	0.583	1479
23	Arrah	Bheldumra	1.186	1424
24	Arrah	Makhdumpur Dumra	1.801	2988
25	Arrah	Garaiyan	1.358	2
26	Arrah	Jadopur	0.973	590
27	Arrah	Sonadia	5.335	2743
28	Arrah	Ratanpur	1.086	2238
29	Arrah	Ratan Dularpur	1.594	1568
30	Arrah	Ganghar	3.761	5324
31	Arrah	Ramdih Chhapra	0.758	789
32	Arrah	Dularpur Kosik	0.485	478
33	Arrah	Misraulia	0.522	2
34	Arrah	Pipra	3.764	2392
Rural Area (34 Villages)			61.689	89127
Arrah Municipal Corporation			30.871	261430
Total for the Block			92.560	350557

35	Koilwar	Chanda	1.877	2804
36	Koilwar	Dhan Diha	5.916	5861
37	Koilwar	Sakaddi	5.390	8294
38	Koilwar	Kazi Chak	0.406	1669
39	Koilwar	Kulharia	4.531	7201
40	Koilwar	Giddha	3.614	5634
41	Koilwar	Bakar Nagar	0.777	3
42	Koilwar	Kiratpura	2.397	4999
43	Koilwar	Purdilganj	1.590	1279
44	Koilwar	Gyanpur	2.397	2841
45	Koilwar	Kaem Nagar	3.795	8554
46	Koilwar	Amma Narbirpur	5.173	1945
47	Koilwar	Bhadwar	2.594	7807
48	Koilwar	Narhi	1.762	3909
49	Koilwar	Narbirpur	0.596	4616
50	Koilwar	Mahui	1.034	378
51	Koilwar	Suraudha	1.227	0
Rural Area (17 Villages)			45.075	67794
Koilwar Nagar Panchayat			5.319	17725
Total for the Block			50.393	85519
52	Udwant Nagar	Pakariabar	2.667	2000
53	Udwant Nagar	Milki	0.334	1781
54	Udwant Nagar	Diliya	2.069	836
55	Udwant Nagar	Milki	0.762	1344
56	Udwant Nagar	Gorhna	0.964	1488
57	Udwant Nagar	Bakri	4.747	4580
58	Udwant Nagar	Dariapur	1.490	1751
59	Udwant Nagar	Chakia	0.812	1191
60	Udwant Nagar	Bholain	2.386	3384
61	Udwant Nagar	Kalyanpur	0.307	1118
62	Udwant Nagar	Chorain	2.566	1987
63	Udwant Nagar	Chaurani	1.093	499
64	Udwant Nagar	Akhtiarpur	1.261	3677
65	Udwant Nagar	Baon Pali	4.426	4442
66	Udwant Nagar	Behra Sabalpur	0.576	1008
67	Udwant Nagar	Tetaria	1.065	732
68	Udwant Nagar	Ekauna	4.138	3558
Total for the Block (17 Villages)			31.665	35376
Arrah Planning Area (68 Villages, 2 ULBs)			174.62	471452

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास निगमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के अन्तर्गत प्रस्तावित आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं आयोजना क्षेत्र की घोषणा हेतु बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति।

कार्यसूची की विवरणी -

- (1) आरा, भोजपुर जिला का प्रशासनिक मुख्यालय है। यह ऐतिहासिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण एवं भारत के प्राचीनतम जिला में से एक है।
- (2) आरा शहर एवं इसके आस-पास स्थित महत्वपूर्ण क्षेत्रों तथा इससे सटे शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को समेकित एवं सुनियोजित रूप से विकसित करने के उद्देश्य से मास्टर प्लान तैयार करने के प्रयोजनार्थ आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारम्भिक प्रारूप, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देश के आलोक में, तैयार किया गया एवं इसके प्रारूप पर जिलाधिकारी द्वारा सुझाव एवं आपत्ति प्राप्त करने के लिए समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित किया गया। तदोपरान्त जिलाधिकारी के पत्रांक-2267, दिनांक-18.11.2016 द्वारा भेजे गये उक्त प्रस्ताव पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की सहमति हेतु विचार किया जाना है।
- (3) इस आयोजना क्षेत्र का क्षेत्रफल 174.62 वर्ग कि०मी० है, जिसमें शहरी क्षेत्र का क्षेत्रफल 36.19 वर्ग कि०मी० एवं शेष ग्रामीण क्षेत्र का क्षेत्रफल 138.43 वर्ग कि०मी० है। इस आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत दो शहरी प्रशासनिक इकाई आरा नगर निगम एवं कोईलवर नगर पंचायत तथा आरा सी०डी० ब्लॉक के 34 राजस्व ग्राम, कोईलवर सी०डी० ब्लॉक 17 राजस्व ग्राम, उदवन्तनगर सी०डी० ब्लॉक के 17 राजस्व ग्राम को मिलाकर कुल 68 राजस्व ग्राम शामिल है। इस आयोजना क्षेत्र की चौहद्दी निम्न है -

उत्तर - पूर्वी भाग में कोईलवर ब्लॉक के काजीचक, कुलहरिया, विद्या, किरटपुरा, पूरहिलगंज, ज्ञानपुर राजस्व ग्राम से होते हुए आरा ब्लॉक के लच्छमनपुर, बसंतपुर, पिपरा, जाहोपुर, निर्मलपुर, सैदपुर राजस्व गाँव तक।

दक्षिण - पूर्वी मार्ग में कोईलवर ब्लॉक के भाड़वर, नारहि, नारबिरपुर, अम्मा नारबिरपुर, आरा ब्लॉक के जमीरा, अलीपुर राजस्व गाँव से होते हुए उदवन्तनगर ब्लॉक के डिलिया, बकरी, हरियापुर, चकिया, इकौना, तेतरिया, बेहरा, चौरेन, चौरसान राजस्व गाँव तक।

पूरब - उत्तरी भाग में कोईलवर ब्लॉक के चँदा, माहुई, गिरौधा से होते हुए दक्षिण भाग में धवडीहा राजस्व गाँव तक।

पश्चिम-उत्तरी भाग में आरा ब्लॉक के सौनादिया, रामदीह छपरा, गंगहर से होते हुए दक्षिण भाग में उदयान्तनगर ब्लॉक के मिलकि, बाँव पल्ली राजस्व गाँव तक।

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	आरा	34	61.69	1	30.87	92.56
02	कोइलवर	17	45.08	1	5.32	50.4
03	उदवन्तनगर	17	31.66	0	0	31.66
	कुल	68	138.43	2	36.19	174.62

- (4) इस आयोजना क्षेत्र का नक्शा अनुसूची-I, आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों का विवरण अनुसूची-II, एवं आयोजना क्षेत्र

- के अन्तर्गत पंचायत क्षेत्रों तथा उसके अन्तर्गत शहरी प्रशासनिक इकाई एवं राजस्व ग्रामों की सूची (नाम, आबादी एवं क्षेत्रफल सहित) का विवरणी अनुसूची-III, के रूप में संलग्न है।
- (5) विकास योजनाओं की तैयारी के दौरान प्रशासनिक इकाइयों एवं आयोजना क्षेत्र के क्षेत्रफल में उपांतरण एवं फेरबदल की संभावना को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के कुल क्षेत्रफल में दस प्रतिशत तक उपांतरण एवं फेर-बदल करने के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग सक्षम प्राधिकार होगा।
 - (6) आयोजना क्षेत्र की घोषणा के पश्चात् बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-11 के तहत आयोजना प्राधिकार का गठन, नियमावली के नियम-11 के तहत इस आयोजना क्षेत्र का विकास योजना, तैयार किया जा सकेगा।
 - (7) प्रस्ताव है कि उपर्युक्त के संदर्भ में प्रस्तावित गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा हेतु अनुशंसा पर बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 (अधिनियम की धारा-9) के तहत बोर्ड की सहमति प्रार्थित है।
 - (8) बोर्ड की सहमति के उपरान्त गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति प्राप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में दिनांक-24.01.2017 को आयोजित बिहार शहरी आयोजना एवं विकास बोर्ड के पाँचम बैठक की कार्यवाही -

उपस्थिति - अनुलग्नक के अनुसार।

विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना द्वारा उपस्थित सदस्यों को स्वागत करते हुए निर्धारित कार्यवाही प्रारम्भ करने का निदेश दिया गया।

- (2). प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा सभी सदस्यों को बिहार शहरी आयोजना तथा विकास नियमावली, 2014 के नियम-9 के अधीन आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा से संबंधित प्रावधानों से अवगत कराया गया।
- (3). बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड की पूर्व के बैठकों में लिये गये निर्णय एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के संबंध में जारी दिशा निदेश के आलोक में पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्र के सीमांकन हेतु अपनायी गयी प्रक्रिया से विकास आयुक्त को अवगत कराया गया।
- (4). बैठक में गया, आरा, मुजफ्फरपुर, बिहारशरीफ एवं सहरसा का आयोजना क्षेत्र के सीमांकन एवं घोषणा पर विचार विमर्श किया गया।
- (5). पाँचों शहरों के आयोजना क्षेत्रों के सीमांकन के प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण बोर्ड के समक्ष किया गया। प्रस्तुतीकरण के क्रम में वित्त आयुक्त द्वारा बतलाया गया कि मास्टर प्लान की लंबी अवधि को ध्यान में रखते हुए आयोजना क्षेत्र के अन्तर्गत वृहत्त क्षेत्र को शामिल करने पर विचार किया जाए। उसके द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के क्रम में जिलापदाधिकारी के कार्यालय को Technical Support दिए जाने के संबंध में पृच्छा की गयी। प्रधान सचिव नगर विकास द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के सीमांकन के लिए विभाग द्वारा दिशा-निदेश जारी किए गए थे। विभाग के तकनीकी पदाधिकारियों द्वारा स्थानीय क्षेत्र का भ्रमण किया गया एवं विभाग द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारंभिक प्रारूप तैयार किया गया। जिला पदाधिकारी कार्यालय में संबंधित पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श कर इसे अन्तिम रूप देकर जिला पदाधिकारी कार्यालय के द्वारा समाचार पत्र में सूचना प्रकाशित कर आम-जनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ प्राप्त कर इसे निष्पादित कर जिला पदाधिकारी द्वारा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन का प्रारूप विभाग को भेजा गया है, जिसपर इस बैठक में विचार किया जा रहा है। आयोजना क्षेत्र के सीमांकन में शहरी क्षेत्रों के अतिरिक्त शहरी क्षमता वाले ग्रामीण क्षेत्रों को भी शामिल किया गया है।
- (6). प्रधान सचिव, पर्यटन विभाग द्वारा मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के Density Mapping पर विचार विमर्श किया गया एवं पृच्छा गयी कि एक राजस्व गाँव के पुरे क्षेत्र अथवा इसके आंशिक भाग को शामिल किया गया है ? इस संबंध में बताया गया कि राजस्व गाँव के सम्पूर्ण क्षेत्र को आयोजना क्षेत्र को शामिल किया गया है।
- (7). विकास आयुक्त द्वारा किये गये पृच्छा के आलोक में नगर आयुक्त, नगर निगम बिहारशरीफ द्वारा बताया गया कि आयोजना क्षेत्र के प्रारूप का प्रकाशन समाचार पत्रों में किया गया एवं आमजनों एवं हितधारकों से सुझाव एवं आपत्तियाँ आमंत्रित किये गये। प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों को निष्पादित कर

विभाग द्वारा जारी दिशा निदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी द्वारा प्रारूप अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु नगर विकास एवं आवास विभाग को भेजा गया।

(8) इस तरह की प्रक्रिया के अनुपालन की सूचना मुजफ्फरपुर नगर निगम के उपस्थित प्रतिनिधि एवं सहरसा नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा भी दिया गया। गया आयोजना क्षेत्र में प्रस्ताव पर प्रस्तुतीकरण के दौरान विकास आयुक्त इसे औचित्यपूर्ण बताया गया।

(9) (i) गया आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	गया टाउन	77	131.43	1	50.17	181.6
02	बेलागंज	8	13.68	0	0	13.68
03	मानपुर	49	72.47	0	0	72.47
04	परैया	4	5.4	0	0	5.4
05	बोधगया	24	35.16	0	0	35.16
कुल		162	258.14	1	50.17	308.31

(ii) आरा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	आरा	34	61.69	1	30.87	92.56
02	कोइलवर	17	45.38	1	5.32	50.4
03	उदवन्तनगर	17	31.66	0	0	31.66
कुल		68	138.43	2	36.19	174.62

(iii) मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	मुशहरी	115	94.95	01 (मुजफ्फरपुर)	32.32	127.27
02	काँटी	43	64.54	1	14.76	79.30
03	मड़वन	23	16.89	0	0	16.89
04	कुड़हनी	18	25.25	0	0	25.25
05	बोचहा	10	7.01	0	0	7.01
06	मीनापुर	7	9.99	0	0	9.99
कुल		216	218.63	2	47.08	265.71

(iv) बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	बिहार	19	24.06	1	20.32	44.38
02	रहुई	11	8.77	0	0	8.77
03	नूरसराय	7	5.08	0	0	5.08
कुल		37	37.91	1	20.32	58.23

(v) सहरसा आयोजना क्षेत्र के घटक निम्न है -

क्र० सं०	सी०डी० ब्लॉक / प्रशासनिक इकाई	ग्रामीण क्षेत्र		शहरी क्षेत्र		क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)
		राजस्व गाँवों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	शहरी प्रशासनिक इकाईयों की संख्या	क्षेत्रफल (वर्ग कि०मी०)	
01	सहरसा	0	0	1	35.89	35.89
02	सत्तर कटैया	21	50.02	0	0	50.02
03	कहरा	34	104.77	0	0	104.77
04	झौर बाजार	24	103.51	0	0	103.51
	कुल	79	258.3	1	35.89	294.19

- (10). पाँचों शहरों यथा गया आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/1), आरा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/2), मुजफ्फरपुर आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/3), बिहारशरीफ आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/4) एवं सहरसा आयोजना क्षेत्र के सीमांकन (कार्यसूची-5/5) पर बोर्ड द्वारा सहमति प्रदान की गयी।
- (11). सर्वसम्मती से निर्णय लिया गया कि उपरोक्त पाँचों शहरों की सीमांकन एवं घोषणा हेतु बोर्ड की अनुशंसा राज्य सरकार को भेजी जाय धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

ह०/-

(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
सह-सदस्य सचिव

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

ह०/-

(शिशिर सिंहा)
विकास आयुक्त, बिहार
सह-अध्यक्ष

बिहार शहरी आयोजना तथा विकास बोर्ड, पटना।

संचिका सं०-11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)-01/2014.....9/.....न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-9/2/11.
प्रतिलिपि-कृषि उत्पादन आयुक्त / प्रधान सचिव / सचिव-कृषि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-स्वास्थ्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-योजना एवं विकास विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-पंचायती राज / प्रधान सचिव / सचिव-उद्योग विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-वित्त विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-ग्रामीण विकास विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-शिक्षा विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-जल संसाधन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-पर्यावरण और वन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-पथ निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-भवन निर्माण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-परिवहन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-आपदा प्रबन्धन विभाग / सचिव-विधि विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-पर्यटन विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-युवा कला एवं संस्कृति विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-ग्रामीण कार्य विभाग / प्रधान सचिव / सचिव-खाद्य एवं आपूर्ति (नागरिक) विभाग / सरकार द्वारा मनोनीत नगर एवं क्षेत्रीय योजना के राष्ट्रीय प्रसिद्धि के दो विशेषज्ञ / महाधिवक्ता द्वारा मनोनीत वरीय विधि पदाधिकारी / मुख्य नगर निवेशक, नगर विकास एवं आवास विभाग / जिलाधिकारी, गया / आरा /

(162)

मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / सहरसा / नगर आयुक्त, नगर निगम गया / आरा /
मुजफ्फरपुर एवं बिहारशरीफ / कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद सहरसा को बोर्ड की
बैठक की कार्यवाही की प्रति सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9/2/17

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

संचिका सं०-11/न०वि०मा०प्लान (बोर्ड)-01/2014.....9/-.....न०वि० एवं आ०वि०, दिनांक-9/2/17
प्रतिलिपि- विकास आयुक्त-सह-अध्यक्ष, बिहार शहरी आयोजना तथा विकास
बोर्ड के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

विश्वासभाजन,

9/2/17

विशेष सचिव

नगर विकास एवं आवास विभाग
बिहार, पटना।

~~9/2/17~~